**International Journal of Advanced Educational Research**
**ISSN: 2455-6157**
**Impact Factor: RJIF 5.12**
**www.educationjournal.org**
**Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 318-320**

# मनरेगा के दस साल : एक विश्लेषण

**आशुतोष त्रिपाठी**
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

## प्रस्तावना

2 फरवरी 2016 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के 10 साल पूरे हो गये। वास्तविक अर्थों में अपने दशकीय विस्तार में इस येाजना ने क्या प्रगति की, अपने मूलभूत कार्यों में कहाँ तक सफल हो पायी। क्या मजदूरों की आय में वृद्धि हुयी, उनकी बचत दर कैसी रही या फिर इस योजना का ग्रामीण विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रश्नों के साथ मनरेगा योजना सतत क्रियाशील है। और नित नये आयामों को छू रही हैं।

सांविधिक स्वरूप एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा 5 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया गया था। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक अधिकार आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते है। उन्हें एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। पहले 2 फरवरी 2006 को देश 200 पिछड़े जिलों में इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से यह पुरे देश में लागू हैं। इस तरह इस योजना ने अपने 10 साल पुरे कर लिए है। यह योजना यू0पी0ए0 सरकार की महात्वकांक्षी योजना के रूप में लागू हुयी थी। पिछली सरकार की इस योजना को मोदी सरकार ने नए कलेवर के साथ आगे बढ़ाया है। कोशिश यही है कि योजना बस खैराती योजना बनकर न रह जाए बल्कि वास्तव में ऐसा कुछ कि जिससे युवाओं को रोजगार तो मिले ही, गांव देहात और किसानी की मदद के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाए विकसित हो। इसी उद्देश्य से पिछले वर्षों में न केवल मनरेगा का बजट आवंटन ही बढ़ा, बल्कि दी गयी रकम से विकसित होने वाली सुविधाओं का लक्ष्य की तय कर दिया गया।

## मनरेगा योजना के लागू करने के प्रमुख उद्देश्य रहे है।

- ग्रामीण भारत के रहने वाले सर्वाधिक कमजोर लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- स्थायी परिसम्पत्ति, बेहतर जल सुरक्षा, भूमि संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के निर्माण द्वारा गरीब लोगों की जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण भारत में सूखा बचाव और बाढ़ प्रबन्धन को मजबूत करना।
- समाज के पिछड़े तबके विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अधिकार–आधारित कानून के द्वारा सशक्तिकरण करना।
- जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करके लोकतंत्र को सशक्त बनाना।

गरीबी सबसे खराब प्रकार की हिंसा है, (महात्मा गाँधी) इस कथन के आलोक में मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, वंचित और शोषित तबके का उत्थान करके समाज की मुख्य धारा में लाना है। मनरेगा योजना एक ऐसे युद्ध की तरह है जिसे रोज मजदूर लड़ रहे है। रोजगार पाने के लिए, एक साथ पैसे के लिए, न्यूनतम मजदूरी के लिए साथ ही शोषण से बचाव के लिए से बचाव के लिए। इसस प्रकार मनरेगा ने अपने 10 वर्षों की उपलब्धियों को निम्न प्रकार संचय किया है।

## मजदूरी रोजगार और आजीविका सुरक्षा

मनरेगा के अन्तर्गत अब तक 13 करोड़ परिवारों अर्थात लगभग 28 करोड़ कामगारों के पास जॉबकार्ड हैं। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना के ग्रामीण आबादी संबंधी आकलनों के अनुसार प्रत्येक तीन ग्रामीण परिवारों में से एक ग्रामीण परिवार को महात्मा गांधी नरेगा का लाभ मिला है। विगत 10 वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसतन 5 करोड़ परिवारों को इसने रोजगार उपलब्ध कराया है। केंन्द्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजूदरी दरों की अधिसूचना जारी करती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक– कृषि श्रम सूची के अनुसार इन दरों की सूची बनायी जाती है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों प्रति लाभार्थी मिलने वाली औसत मजदूरी को वर्ष 2006 में प्रति श्रम दिवस 65 रू. थी, वर्ष 2014–15 में बढ़कर 150 रू. से अधिक हो गई है।

## श्रमदिवसों का सृजन

कार्यक्रम के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक श्रमदिवसों का सृजन प्रशासन के लिए बहुत मायने रखता हैं। प्रारम्भ से लेकर 14.01.2016 तक महात्मा गांधी नेरगा में रोजगार के 1971 करोड़ श्रमदिवस सृजित किए गए है। वर्ष 2015–16 की दूसरी, तिमाही, (45.88) करोड़ और तीसरी तिकाई (46.16) करोड़ के दौरान सर्वाधिक मानव दिवसों का सृजन किया गया है।

## मजदूरी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में मजदूरी के भुगतानों से संबंधित दो प्रावधान है धारा 6 (1) जिसमें केन्द्र सरकार के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वह मजदूरी दर की अधिसूचना जारी करेगा और धारा 6(2) में राज्य सरकार को मजदूरी दर की अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी गई है। केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत नियोजित अकुशल कामगारों की मजदूरी की पूरी लागत का वहन करती है।

अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू होने से लेकर अब तक दोनो प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 2009 तक धारा 6 (2) का क्रियान्वयन कियाा जा रहा है जिसमें राज्य सरकार कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करती थी। इसे संबंधित

राज्यों में मनरेगा मजदूरी दर के रूप में अधिसूचित किया गया था।

**सामाजिक समावेशनः गरीबों और कमजोर वर्गो को लक्षित करना**

महात्मा गाँधी नरेगा ऐसे स्व–चयन कार्यक्रम के रूप में सफल रहा है, जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी) और जनजातियों (एसटी) जैसे उपेक्षित समूह भागीदारी कर रहे है। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत दिए जाने वाले काम में अनूसिचित जातियों व अनूसूचित जनजातियों की भागीदारी काफी अधिक रही है। वित्तीय वर्ष 11–12 से मामूली कमी आने के बावजूद अनूसूचित जातियों की भागीदारी 20 प्रतिशत से अधिक रही है। अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी विभिन्न राज्यों में अलग–अलग है और यह भागीदारी शुरूआती वर्षो में 25 प्रतिशत से अधिक से कम होकर मौजूदा वित्तीय वर्ष में 31.12 2015 तक 17 प्रतिशत रह गई है।

**महिला सशक्तीकरण**

इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानो और इसके दिशानिर्देशों का उद्देश्य महिलाओं को समान काम, सम्मानजनक कार्य दशाएं, समान मजदूरी का भुगतान और निर्णय–निर्धारण निकायों में प्रतिधित्व आसानी से उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2015–16 में 31.12.2015 तक महिलाओं के लिए 96523 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है। अध्ययन व क्षेत्रीय साक्ष्य दर्शाते है कि महिलाओं की भागीदारी दर बढ़ने व समान मजदूरी दरों से इस योजना का महिलाओं व बच्चों के आर्थिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने से महिलाओं की समाजिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए परिवारों में धन खर्च करने के तौर तरीकों के निर्धारण में महिलाओं की बच्चों की स्कूली शिक्षा इत्यादि के लिए खर्च कर रही है। महिला सशक्तिकरण परियोजना की भावी कार्य योजना यह है कि उन्हें कार्यो के आयोजन में अधिक व्यापक पैमाने पर शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश जम्मू व कश्मीर और ओडिशा जैसे राज्यों में महिलाओं की सांविधिक भागीदारी बढ़ी है। अशिकांश महिला कामगारों का कहना है कि वे अपना धन भूख से बचने, छोटे–मोटे कर्ज चुकाने, अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा इत्यादि के लिए खर्च कर रही है। महिला सशक्तीकरण परियोजना की भावी कार्य योजना यह है कि उन्हें कार्यो की आयोजना में अधिक व्यापक पैमाने पर शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और ओडिशा जैसे राज्यों में महिलाओं की सांविधिक भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है, जो चिंता का विषय है।

**अर्जित मजदूरी से अजीविका सुरक्षा–भोजन, बच्चों की शिक्षा एवं अन्य मानव विकास संसूचकों पर प्रभाव**

महात्मा गांधी नरेगा से ग्रामीण परिवारों की कृषि कार्यो में तेजी से लेकर मंदी के मौसमों में स्थायी रूप में निरंतर उपभोग में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि रोजगार मुख्यतः मजबूरी का परिणाम होता है। गैर –कृषि में ग्रामीण कामगारों को रोजगार मिलने में शिक्षा आयु एवं जेन्डर संबंधी बाधाएं आती हैं महात्मा गांधी नरेगा के अभाव में ग्रामीण श्रम बाजारों में बेरोजगारों की समस्या और भी गम्भीर हो जाती।

मनरेगा कार्य में भागीदारी से पलायन में कमी आई है। इस योजना से ग्रामीण श्रमिकों को ऐसे समय में जीवनरेखा के रूप में आय का वैकल्पिक स्रेत प्राप्त हुआ है।जिस समय उन्हें या तो पलायन करने या कठोर एवं अनुचित कार्य दशाओं में कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

**भुगतान प्रणालियों को सरल कारगर बनाना**

इस कार्यक्रम में लगभग 95 प्रतिशत मजदूरी एंव सामग्री संबंधी भुगतान इलैक्ट्रानिक निधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किए जाते है। इससे पारदर्शिता काफी बढ़ जाती है और दुर्विनियोजन की संभावनाओं में कमी आती है। अधिकांशतः मजदूरी का भुगतान सीधे डाकघरों या बैंको में कामगारों के खातों में अंतरण के माध्यम से किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत डाकघरों या बैंको में ग्रामीण कामगारों के लगभग 11.2 करोड़ खाते (31.12.15) खाले गये हैं। विशेषकर महिलाओं के वित्तीय समावेशन का प्रभाव काफी व्यापक है। वर्ष 2015 में जारी की गई राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की महात्मा गांधी नरेगा की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार बैंक खातो वाली भागीदार महिला कामगारों का प्रतिशत वर्ष 2004–05 में केवल 9 प्रतिशत से पाँच गुणा बढ़कर वर्ष 2011–12 में 49 प्रतिशत हो गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 15–16 में 31.12.15 तक 56 प्रतिशत महिला कामगारों के बैंक खाते है।

**स्थायी परिसंपत्तियां–महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कार्य**

महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत परिसंपत्तियों का निर्माण न किए जाने के अनुसार पहले तो अधिकारिक प्रशासनिक आँकड़ों का अधिप्रमाणन किए जाने पर यह पाया गया है कि लगभग 87 प्रतिशत कार्य जमीनी स्तर पर मोजूद है। कई अध्ययनों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लाभार्थियों, विशेषकर व्यक्तिगत लाभार्थियों को ये' कार्य उपयोगी लगे इन कार्यो से भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई, एक से अधिक फसलों के उत्पादन में मदद मिली, जोखिमों और अभावों में कमी आई।

**कृषि उत्पादकता पर जोर**

कृषि एवं स्थायी आजीविकाओं से इस योजना के तालमेल को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब इस प्रावधान को अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी जिलें में लागत की दृष्टि से शुरू किए जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि जल एवं वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि एवं तत्संधी कार्यकलापों से सीधे जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों से संबंधित हों राष्ट्रीय स्तर पर कृषि संबंधी कार्यो का प्रतिशत निरंतर 50 से अधिक रहा है और वर्ष 2015–16 में यह प्रतिशत लगभग 65 हो गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम की शुरूआत से अब तक इस पर 3,13,84,455/–करोड़ रूपये खर्च किये गये जिसके से 71 राशि श्रमिको को पारिश्रमिक देने में खर्च की गयी।

मनरेगा को लागू करने वाली एजेंसियों एवं लाभार्थियों को समय पर पारदर्शी ढंग से भुगतान हेतु इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेन्ट सिस्टम शुरू किया गया है।

मनरेगा के तहत सम्पन्न कार्यो में से लगभग 65 प्रतिशत कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्रों से संबंधित रहा है।

इस प्रकार मनरेगा अपने उद्देश्यों के प्रति ईमानदार हैं। वैसे किसी भी योजना के स्वरूप और क्रियान्वयन को लेकर हमेशा से ही एक बाद–विवाद की स्थिति बनी रहती है फिर भी जहॉ मनरेगा ने ग्रामीण आधारभूत संरचना के साथ महिलाओं का आर्थिक और सामजिक सशकितकरण किया है, वहीं पर अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन जातियों को आत्मनिर्भर बनाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सर्वाधिक कमजोर और अपेक्षित वर्गो तक अपनी पहुच बनाने में सफल रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गरीबो और वंचितो को आय, खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना काफी हद तक पूरा हुआ है। और इससे ग्रामीण परिवार के सदस्यों

को प्रति वर्ष 50 से 60 दिन रोजगार मिला है।
अगर मनरेगा में भष्टाचार के अरोपो का सही प्रकार निवारण किया जाय, साथ ही समाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को सही तरीके से लागू किया जाय और केन्द्र द्वारा आंवटित धन को राज्यों को सही प्रकार से वितरित किया जाय तो इस योजना के नये आयाम छूने में ज्यादा वक्त नही लगेगा। मनरेगा एक धर्माध उद्यम नहीं है। बल्कि यह एक बेहद कठिन कार्य है। अपनी सारी कमियों के बावजूद करोड़ लोगों उनके परिवारों की जीवन रेखा है।

## संदर्भ


1. कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, 2014, पृ0 21
2. कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार 2017 पृ0 24
3. मनरेगा एक दशक ही उपलब्धि, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।
4. द हिन्दू ए सितम्बर 2016
5. ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2014–15
6. रितिका खेड़ा और जीन द्रेज द बैटल फार इम्प्लायमेंट गारंटी, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011